फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत.................... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा........................

रूपसिह बनाम काशीराम आदि

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट नं0 11/15 सन्............ 2015 16/4/15

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---|---|---|
| 16/4/2015 | आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया एंव एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज एंव शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख तक जारी की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता संख्या 272/240 के खसरा नं. 223 की 13.203 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में सायल के 320 हिस्सा भूमि में अप्रार्थीगण को पावंद किया जाता है कि वे प्रार्थी को हिस्से से बेदखल नही व दखलन्दाजी नही करे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 25.05.2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 25.5.15 | पक्षकारान उप०/अनु०/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप०/अनु०/पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी। पक्षकारान में समझाईश की गयी। परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय को वापिस लोटायी जाये। पत्रावली दिनांक 18.8.15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 18.8.15 | पत्रावली पेश हुयी अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री ... उपस्थित। पत्रावली वास्ते शेष की तलबी हेतु दिनांक 12.10.15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 12.10.15 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते शेष तलबी दिनांक 4.11.15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 4-11-15 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...अवकाश पर... दिनांक 4-12-15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |

Scanned with CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख कर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
| --- | --- | --- |
| 6-12-21 | पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान [illegible] में पेश हुई वकील प्रार्थी मुद्दई। मूल वाद का निस्तारण होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 इसी स्टेज पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] | |

( शिविर प्रभारी )
सहायक कलक्टर ( फास्ट ट्रेक ) मांट
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प ..........................

Scanned with CamScanner